न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 365/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मूलाराम पुत्र नेमाराम 2– दलाराम पुत्र नेमाराम 3– शोभाराम पुत्र नेमाराम सभी जातियान मेघवाल निवासी जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली		1– धन्नाराम पुत्र पुखाराम 2– रामलाल पुत्र पुखाराम 3– गीता पत्नी पुखाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम भुरियासनी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवासी ग्राम जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन, जिला पाली 5– ग्राम पंचायत जोजावर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–2018 जो तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 28/2015 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोतीसिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बरकत खां मेहर अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जोजावर के नामांतरकरण संख्या 2661 मे वर्णित खसरा नंबर 1720 की भूमि के सह खातेदार हसकी पत्नी भगा कौम मेगवाल सा0 देह थी । उसके देहांत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी बाबत भरे गये उक्त फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 2661 मे उसके नाम के स्थान पर दंलाराम, शोभाराम, मूलाराम पि0 नेमाजी एवं गैनीबाई बेवा नेमाजी का नाम दर्ज करते हुए उक्त म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर द्वारा दिनांक 2–10–2008 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 2661 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय की प्रथम अपील वर्ष 2014 मे पेश की कि वे रेस्पो0गण के पिता पुखारामजी को मृतक खातेदार मघाराम एवं हंसकी ने संवत 2050 दिनांक 22–1–1994 को गोद लिया था इसलिए गोदनामे अनुसार वे पुखारामजी के विधिक उतराधिकारी होने से खातेदार हंसकी के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण मे उनका नाम दर्ज किया जाना चाहिये था इसलिए उक्त नामांतरकरण संख्या 2661 विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 31–3–2015 से आंशिक स्वीकार करते हुए उक्त म्युटेशन नंबर

अति॰ सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

2661 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षो को विधिक रूप से नोटिस जारी कर, साक्ष्य सबूत लेकर, हंसकी के वैद्यानिक उतराधिकारियो की नियमानुसार जांच करे एवं अपीलांट के अपंजीकृत गोदनामें की भी सम्यक रूप से जांच करते हुए नये सिरे से हंसकी के वैद्यानिक उतराधिकारियो के पक्ष मे नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये ।

उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 31–3–2015 की पालना मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने प्रकरण संख्या 28/2015 अनवान धनाराम पुत्र पुखाराम वगैरा बनाम दलाराम वगैरा दर्ज कर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर, उनको सुनवाई करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2018 के द्वारा मौजा जोजासर के नामांतरकरण संख्या 2661 को अपास्त करते हुए नये सिरे से नामांतरकरण हंसकी के गोदीपुत्र पुखजी एवं उसके बाद उनके पुत्र धनाराम, रामलाल एवं गीतादेवी (वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 से 3) के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित कर दिये । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । रेस्पो0 अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली है तथा अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस मे अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन करते हुए अपनी मौखिक बहस मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड जंक्शन की पत्रावली एवं उसमे सम्पन्न हुई कार्यवाही आदेशिकाओ कमशः दिनांक 5–5–2016, 20–6–16, 1–7–16 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया तब तक नामांतरकरण पटवारी हल्का से तलब किया जा रहा था तथा पत्रावली दिनांक 14–7–16 को रखी गई । उसके बाद पीठसीन अधिकारी का स्थानांतरकरण हो जाने तथा नये पीठासीन अधिकारी के समक्ष पत्रावली 24–4–18 को प्रस्तुत हुई जिसमे पक्षकारान को तलब किये जाने का आदेश के साथ पत्रावली दिनांक 12–5–18 को रखी गई तथा दिनांक 12–5–18 को ही पक्षकारो को नोटिस जारी किये बिना, रेकर्ड तलब किये बिना तथा पक्षकारो को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानेपूर्ण अपनी धारणा बनाते हुए अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त किया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 ने जो तथाकथित गोदनामा होना प्रकट किया है, वह मघाराम की मृत्यु के बाद का बनाया गया दस्तावेज है , जिस पर मघाराम स्वयं के कोई हस्ताक्षर नही है और न ही हसकी के कोई हस्ताक्षर है । इसके अलावा यह भी कथन किया कि उक्त तथाकथित गोदनामा सम्यक रूप से स्टाम्पित एवं रजिस्टर्ड भी नही है जबकि विधि की यह स्पष्ट अवधारणा है कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य मे ग्राह्य नही किये जा सकते है तथा ऐसे दस्तावेजो के आधार पर कोई न्यायालय अपना निष्कर्ष

अभिलिखित नही कर सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए गोदनामे को सही मानते हुए उसके आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलांटगण के पक्ष मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2661 वर्ष 2008 मे स्वीकृत हुआ था यदि रेस्पो0 को गोद लिया जाता तो उक्त म्युटेशन स्वीकृति के समय ही ग्राम पंचायत के समक्ष यह तथ्य प्रकट हो जाता परंतु रेस्पो0गण ने 6 वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की तथा बाद मे सोची समझी साजिश के तहत ऐसा गोदनामे का दस्तावेज तैयार करवाकर अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयानो को नही मानने का कोई कारण प्रकट नही किया है तथा तथाकथित गोदनामे का दस्तावेज जिसका विधि मे कोई महत्व नही है, उस दस्तावेज को सही मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश मे दिये गये निर्देशानुसार विधिक वारिसान की जांच नही की तथा यह भी कथन किया कि जब उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अनरजिस्टर्ड गोदनामा साक्ष्य के रूप मे किसी तरीके से ग्राह्य नही है, उक्त निष्कर्ष के बावजुद तथा विधि की धारणा के परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलांटगण के पक्ष मे स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने का जो आदेश दिया है, वह विधिसम्मत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2018 एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा अपील संख्या 10/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 31–3–2015 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2661 ग्राम जोजावर को बहाल रखे जाने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब, धारा 5 मयाद अधिनियम का जवाब दिनांक 14–2–2019 को प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज करने का निवेदन किया तथा रेस्पो0 की ओर से दिनांक 28–11–2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर उसके सलंग्न फार्म नंबर 3 मे उल्लेखित दस्तावेजो को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का जवाब अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे उल्लेख किया है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2661 पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 3 के पति पुखारामजी का उनके पूर्वज मगारामजी के समय से ही निरंतर कब्जा काश्त चला आ

रहा है। वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि मगाराम ने पुखाराम को उनके समाज की परम्परागत प्रथा अनुसार बचपन मे ही गोद ले लिया था तथा पुखाराम गोद पुत्र की हैसियत से आजीवन उनके परिवार मे ही रहे । मगाराम एवं उनकी पत्नी हसकी की सेवा चाकरी पुखाराम ने ही की थी । वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि गोदनामे का विवाद होने पर मेघवाल समाज के पंचो की पंचायती थापी गई जिसमे पंचो ने मगाराम द्वारा पुखाराम को गोद लेकर गोद की रश्म अदा की थी, इस तथ्य को समाज के मोजिज पंचो ने एक लिखत के जरिये पुष्टि की थी । उक्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को स्वीकार कर विवादित म्युटेशन के सबंध मे एवं श्रीमती हंसकी के उतराधिकारियो व गोद लिये जाने के संबंध मे विस्तृत जांच किये जाने हेतु मामला तहसीलदार मारवाड जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया था जिन्होने इस मामले की विस्तृत जांच कर, दोनो पक्षो की विधिवत सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि अपील मे वर्णित विवादित भूमि के अलावा मगाराम की अन्य कृषि भूमि ग्राम अनजी की ढाणी मे खसरा नंबर 2137, 2138, 2139, 2140, 2176 की भूमि जो अन्य खातेदारो के साथ श्रीमती हंसकी के देहांत होने पर उसके हिस्से की भूमि का राजस्व समस्या समाधान शिविर दिनांक 31–8–1998 मे मजमे आम गांव जोजावर मे आयोजित किया गया जिसमे हंसकी के देहांत को जाने से उसके हिस्से की भूमि राजस्व समस्या समाधान शिविर 31–8–98 गांव जोजावर मे आहूत किया गया था जिसमे हंसकी के फोत हो जाने से उकसे हिससे की भूमि का उसके गोद पुत्र पुखाराम के वारिसान के नाम म्युटेशन संख्या 146 स्वीकृत किया गया था तथा उक्त म्युटेशन की पुश्त पर श्रीमती हंसकी बेवा मगाराम को फोत बताया गया है एव स्व0 पुकाराम को उनका गोद पुत्र बताया तथा उसे फोत होना बताते हुए उसके वारिसान पुत्रो के रूप मे धन्नाराम व रामलाल को श्रीमती हंसकी के पोते बताये गये तथा श्रीमती गीता को हसंकी की पुत्रवधु बताया है जिससे भी यह स्पष्ट साबित है कि रेस्पो0 के पिता स्व0 पुकाराम को मगाराम एवं श्रीमती हंसकी ने अपने समाज की पीढियो की परम्परागत प्रथा अनुसार गोद लिया था ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि रेस्पो0 को मृतक खातेदार श्रीमती हंसकी के संदूक से मिले दस्तावेज जिसमे निर्वाचन विभाग द्वारा जारी कार्ड, जिसे रेस्पो0 ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत किये है जिसमे श्रीमती हंसकी ने रेस्पो0 के परिवार को अपना परिवार होना बताया है इससे भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 श्रीमती हंसकी के विधिक वारिसान है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण रिमाण्ड किया जाने पर तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने श्रीमती हसंकी के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच गांव के मौजिज व्यक्तियो

के बयानात आदि लेकर, दोनो पक्षो की सुनवाई कर साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लेकर जो अपीलधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ की पत्रावली मे उपलब्ध बयानात आदि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विवेचन करने से पहले पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी को तथा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना आवश्यक समझते हुए पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दोनो ही प्रार्थना पत्रो के जवाब का अवलोकन एवं अध्ययन उपरांत न्यायहित मे उक्त दोनो ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है तथा अपील को अंदर मयाद सुमार किया जाता है ।

ग्राम जोजावर के नामांतरकरण संख्या 2661 मे वर्णित खसरा नंबर 1720 की भूमि के सह खातेदार हसकी पत्नी भगा कौम भेगवाल सा0 देह थी । उसके देहांत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी बाबत भरे गये उक्त फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 2661 मे उसके नाम के स्थान पर दलाराम, शोभाराम, मूलाराम पि0 नेमाजी एवं गैनीबाई बेवा नेमाजी (वर्तमान अपीलांटगण) का नाम दर्ज करते हुए उक्त म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत जोजावर द्वारा दिनांक 2–10–2003 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 2661 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष इस आशय की प्रथम अपील वर्ष 2014 मे पेश की कि रेस्पो0गण के पिता पुखारामजी को मृतक खातेदार मघाराम एवं हंसकी ने संवत 2050 दिनांक 22–1–1994 को गोद लिया था इसलिए गोदनामे अनुसार वे पुखारामजी के विधिक उतराधिकारी होने से खातेदार हंसकी के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण मे उनका नाम दर्ज किया जाना चाहिये था इसलिए उक्त नामांतरकरण संख्या 2661 विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को उनके निर्णय दिनांक 31–3–2015 के द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए उक्त म्युटेशन नंबर 2661 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनो पक्षो को विधिक रूप से नोटिस जारी कर, साक्ष्य सबूत लेकर, हंसकी के वैद्यानिक उतराधिकारियो की नियमानुसार जांच करे एवं अपीलांट के अपंजीकृत गोदनामें की भी सम्यक रूप से जांच करते हुए नये सिरे से हंसकी के वैद्यानिक उतराधिकारियो के पक्ष मे नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 31–3–2015 की पालना मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 28/2015 अनवान

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

धनाराम पुत्र पुखाराम वगैरा बनाम दलाराम वगैरा मे सम्पन्न की गई कार्यवाही के संबंध मे तहसीलदार मारवाड जंक्शन की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से उभय पक्षकारान को तारीख पेशी दिनांक 11–4–2016 को गवाह/बयान हेतु उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये हुए तथा सभी तामिलसुदा नोटिस तहसीलदार की पत्रावली मे उपलब्ध है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा मृतक हंसाकी के वारिसान की जांच के संबंध मे कुल 28 व्यक्तियो के बयान लिये जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है जिनमे गांव के मौजिज व्यक्तियो के बयानात भी शामिल है, इन तमाम बयानात का अध्ययन एवं उन पर विचार करने के बाद ही तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित है, वह समर्थन योग्य है तथा अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन सही नही माना जा सकता कि तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के रिमाण्ड आदेश मे दिये गये निर्देशो की पालना नही की हो ।

इसके अलावा इस न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के सलंग्न जो दस्तावेज पेश किये गये है उनमे म्युटेशन संख्या 146 ग्राम अनजी की ढाणी तहसील मारवाड जंक्शन मे भी मृतक हसकी बेवा भगाराम के संयुक्त खातेदारी की भूमि थी तथा उसके फोत होने पर उसके हिस्से की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम म्युटेशन स्वीकृत हुआ था तथा उक्त म्युटेशन की पुष्ट पर श्रीमती हंसकी बेवा मगाराम के वारिसान की वंशावली बनाई गई जिसमे पुकाराम को उनका गोदपुत्र बताया गया तथा पुकाराम फोत बताया गया तथा उसके वारिसान मे वर्तमान रेस्पो0 का नाम दर्ज किया हुआ है । इससे भी यह पुष्ट हो जाता है कि वर्तमान रेस्पो0गण के पिता स्व0 पुकाराम जो कि श्रीमती हंसकी एवं मगाराम के गोद गया हुआ था ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर